तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
15/02/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/03/19 को पेश हो।
16/04/19	[illegible] पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] अधिवक्ता [illegible] हेतु दिनांक 14/5/19 को पेश हो।
14/05/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31/5/19 को पेश हो।
31/05/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी सं० 8 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर आयी है। बावजूद सम्यक तामील उनकी ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अतः अप्रार्थी नं० 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी सं० 1 ता 7 ने जवाब प्रा०पत्र पेश किया जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलाई जाकर शा०प० किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/06/2019 को पेश हो।
04/06/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07/6/19 को पेश हो।
07/06/19	वकुलाय उप०। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। बहस हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/06/19 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

बिरमाराम वगैरह बनाम गोविन्दराम हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज पत्थरगढ़ी 28/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
11/06/19 वुकलाय उप॰। बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/6/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/06/19 वुकलाय फरीकैन उप॰। बहस हेतु अवसर चाहते है। बहस हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18/06/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/06/19 वुकलाय फरीकैन उप॰। प्रकरण में बहस वुकलाय उभय पक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21/06/2019 को पेश हो। पश्चात: वकील प्रार्थी ने दस्तावेजों की सूची के संलग्न कुल किता-04 दस्तावेजात पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील अप्रार्थी ने दस्तावेजों की सूची के संलग्न कुल किता-04 दस्तावेजात पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। (हस्ताक्षर)	
21/06/19 पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण में बहस वुकलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि भूमि ख॰नं॰ 23 तन ग्राम माजी साहब की ढाणी तहसील फतेहपुर में स्थित है, जिसका दिनांक 11.06.2018 को तहसीलदार फतेहपुर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया गया था। सीमाज्ञान के समय ख॰नं॰ 24,25,26,27 के खातेदार अर्थात् प्रार्थी एवं पड़ौसी खातेदार उपस्थित थे। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। अप्रार्थीगण का जवाब भी आया है जिसमें ख॰नं॰ 26 एवं 74 के मध्य रास्ता होना बताया है जो सही है किन्तु उक्त ख॰नं॰ के मध्य कोई सीमा चिन्ह clear नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित सीमाज्ञान की अपील भी माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर में की गई थी जो अपील माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। अत: निवेदन है कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें। वकील प्रार्थी की बहस के	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जवाब में वकील अप्रार्थीगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार खण्डेला को सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत वाद में भूमि ख० नं० 24, 25, 26, 27 का सीमाज्ञान चाहा है। सीमाज्ञान से पूर्व पटवारी रिपोर्ट में भूमि खाली बताई है। भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं बताया है। भूमि पर कोई विवाद व स्थगन नहीं बताया है। प्रार्थी के कोई राजकीय बकाया नहीं बताया है। प्रार्थी की एकल खातेदारी बताई है, मौके पर सींवडोल व तारबन्दी बताई है। इस प्रकार प्रार्थी जो सीमाज्ञान चाह रहा है वहाँ पटवारी रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही सींव डोल है। अप्रार्थीगण को उक्त सीमाज्ञान की सूचना नहीं दी गई। सीमाज्ञान रिपोर्ट में नाप जोख का विवरण नहीं है। प्रार्थना-पत्र में सीमाज्ञान का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। ख० नं० 74 के काश्तकारों को नोटिस फाईल करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं था क्योंकि बीच में रास्ता ख० नं० 23 है जिससे अप्रार्थीगण Jointed खसराधारक नहीं है। रास्ते का तथ्य प्रार्थी को भी स्वीकार है। प्रार्थी को पत्थरगढ़ी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौके पर कोई विवाद नहीं है। हमारा सीमाज्ञान का अपील प्रा० पत्र क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज हुआ है न कि गुणावगुण पर। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस बकलाय उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रथमतः अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान दिनाँकित 11.06.2018 की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के यहाँ प्रस्तुत की गई, जिनको सीमाज्ञान की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं था और इसी आधार पर उक्त अपील खारिज की गई जिससे अप्रार्थीगण की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी कार्यवाही को विलम्बित/देरी करने की मंशा प्रकट होती है। ~~कि~~ द्वितीयतः उभय पक्ष ख० नं० 26 एवं 74 के मध्य ख० नं० 23 रास्ता होना स्वीकार करते है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त ख० नं० 26 एवं 74 के मध्य जो रास्ता ख० नं० 23 में स्थित है उस पर कोई सीमा चिन्ह clear नहीं है। विवादित आराजी का दिनांक 11-06-2018 को प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :—

खण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	निर्णय अतः ग्राम माजी साहब की ढाणी प० ह० गोविन्दपुरा के भूमि ख० नं० 26 की पूर्वी सीमा एवं ख० नं० 74 के पश्चिमी ओर की सीमा पर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 11-06-2018 पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डेला नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क राजकोष में जमा लेकर उपरानुसार पत्थरगढ़ी कार्यवाही सम्पादित करें। तहसीलदार खण्डेला को उपरानुसार पत्थरगढ़ी कार्यवाही सम्पादन हेतु तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली कैमल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21/6/19 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	